न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 338/2016

बउनवान

शंभू, लोडू आयु 60 व 80 वर्ष पुत्र श्री नारायण जाति–मीना निवासी–जारेला तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कृष्णकान्त शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 27.11.2017

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 18.2.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–गुरावडिया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म गै.मु.दडा पर अतिक्रमी मानकर 1024/–रूपये अर्थदण्ड एंव 3 माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तो से परे होने से काबिल खारजा है। अधीनस्थ न्यायाल की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों का समुचित विवेचन नहीं करके उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी से अपीलांट का कोई सबंध नहीं है ना हीं अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा रहा है व ना हीं बेदखल किया गया है। निर्णय परफोर्मा पर आधारित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा है। अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में भूमि पडत पडी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का पश्चात्वर्ती मानकर

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सजायाब किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत स्वतंत्र गवाह के बयान, बेदखलीनामा नहीं है। उक्त निर्णय मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है जो कानूनी रूप से अनुचित है। निर्णय परप्रोर्मा पर है जिसे भी विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.2.2016 निरस्त फरमाया जावें।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में प्रश्नगत आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 136/15 निर्णय दिनांक 23.2.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गे.मु. दडा है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 136/15 निर्णय दिनांक 23.2.2015 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 129/16 में पारित आदेश दिनांक 18.2.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Web Copy - Not Official